



## जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर

दूरभाष संख्या : 06432-232344, फ़ैक्स : 06432-231675 ई-मेल : ddc-deo@nic.in

पत्रांक : 1794/जि०ग्रा०वि०अभि०, देवघर, दिनांक : 26 नवम्बर, 2020 ई०।

### अति अल्पकालीन निविदा

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के विभिन्न शाखाओं में व्यवहार होनेवाले विभिन्न प्रकार के सामग्रियों की क्रय से संबंधित दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक-4/12/20 को 1:00 बजे अपराहन तक आमंत्रित की जाती है।

निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ उसी दिन अर्थात् दिनांक: 04/12/20 को अपराहन 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निविदा समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सामग्रियों की सूची <http://deoghar.nic.in> एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें :-

- 1 सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelop System) के अनुसार डाली जाएगी।
- 2 निविदादाता एक लिफाफे में साफ-साफ शब्दों में "तकनीकी 'वीड'" तथा दुसरे लिफाफे में "वित्तीय वीड" अंकित करेंगे। लिफाफे के उपर अपना नाम-पता साफ-साफ अंकित करेंगे एवं दोनों लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर मुहरबंद कर उप विकास आयुक्त, देवघर के पदनाम से नजारत शाखा में रखे निविदा बॉक्स में जमा करेंगे। तकनीकी वीड लिफाफे में अद्यतन आयकर रिटर्न तथा GST का निबंधन प्रमाण-पत्र/अद्यतन GST रिटर्न, GST में Requested Comodity, GST में Registered Bank A/C No., Authorised Representative (अगर प्रोपराईटर उपस्थित न हो तो), काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने का नोटरी का शपथ पत्र संलग्न करेंगे, अनुभव प्राप्त निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी तकनीकी कागजात सही पाये जाने पर ही वित्तीय वीड खोला जाएगा।
- 3 निविदा के साथ 10,000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, देवघर के पदनाम से जो देवघर में भुगतान होगा, जो संलग्न करना होगा।
- 4 सभी सामग्रियों का दर कर सहित उल्लेख करेंगे। निर्धारित दर के अलावे अन्य कोई कर देय नहीं होगा।
- 5 मुहरबंद निविदा नहीं रहने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6 कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित समय सीमा के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
- 7 सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के उपरान्त सामग्री संबंधित स्थान पर पहुँचाने की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी। इसके लिए अलग से व्यय देय नहीं होगा।
- 8 निविदा अन्तर्गत न्यूनतम दर पर एक या एक से निविदादाता के बीच कार्यादेश निर्गत करने एवं निविदा को पूर्णतः/ अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
- 9 निविदादाता को उपरोक्त सामग्रियों का नमुना निविदा खोलने के समय लाना अनिवार्य होगा।
- 10 निविदा में स्थानीय फॉर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

DRDA  
29/11/2020

उप विकास आयुक्त,  
देवघर।